

## कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक कर सकते है गृह मंत्री अमित शाह

By : Editor Published On : 8 Oct, 2021 11:04 AM IST



जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35ए के खत्म होने के बाद से सवाल जो लगातार उठ रहा है, कि वहां के हालात क्या है? अगस्त 2019 में गृहमंत्री अमित शाह ने इस लेकर राज्यसभा में सबसे पहले जानकारी दी थी। उसके बाद से विपक्ष लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर हमलावार हो रहा है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है, कि वहां विकास तेज गति से हो रहा है। वहां के हालात में शांति और स्थिरता देखी जा रही है और स्थिति पहले से बेहतर है। हालांकि, समय-समय पर सरकार की ओर से अलग-अलग मंत्री जम्मू कश्मीर जाते रहे हैं और स्थानीय स्तर पर लोगों से मुलाकात करते रहे हैं।

इस बीच बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह इस महीने जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक यह दौरा 23 से 25 अक्टूबर के बीच हो सकता है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार के व्यापक संपर्क अभियान के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दौरान प्रदेश आजादी के अमृत महोत्सव के रंग में डूब जाएगा। प्रदेश सरकार 23 से 29 अक्टूबर तक बड़े स्तर पर सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रम करवाने की तैयारी में जुटी है। कार्यक्रम के तहत 23 अक्टूबर को जम्मू के सभी पार्कों व विरासती इमारतों में दीपमाला की जाएगी।

अपने दौर के दौरान गृह मंत्री शाह कानून व्यवस्था से संबंधित मुद्दे पर भी वह उच्च स्तरीय बैठक कर सकते हैं जिसमें पुलिस प्रशासन, अर्धसैनिक बल और सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिन 70 मंत्रियों का कश्मीर जाने का प्लान है उनमें से कई ने राज्य का दौरा कर लिया है, तब कहीं और जाने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। PLC

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/home-minister-amit-shah-can-hold-high-level-meeting-on-law-and-order/>

12th year of news and views excellency

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

---

[www.internationalnewsandviews.com](http://www.internationalnewsandviews.com)